



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय:- मुख्य प्रबन्धक, सी. बी. एस. अजमेर आगार

क्रमांक: मु० प्र०/सामान्य/2018/.....

दिनांक 31.08.2018

निविदा सूचना

केन्द्रीय बस स्टैण्ड अजमेर आगार पर होर्डिंग फ्लेक्स लगाये जाने हेतु निगम की शर्तों पर लाइसेंस/टेकेदार नियुक्त किये जाने हेतु दिनांक 17.09.2018 को अपरान्ह 14:30 बजे तक बंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। प्रत्येक निविदादाता द्वारा होर्डिंग फ्लेक्स के लिए निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। प्राप्त निविदाएं आमंत्रित उसी दिन 15:15 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। अपूर्ण तथा बिना धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

	साईज (फीट)	धरोहर राशि
केन्द्रीय बस स्टैण्ड आगार अजमेर	40 X 20 = 800 वर्ग फीट	50,000 / -रूपये
	40 X 10 = 400 वर्ग फीट	
	40 X 10 = 400 वर्ग फीट	
	20 X 10 = 200 वर्ग फीट	
	20 X 10 = 200 वर्ग फीट	
	20 X 10 = 200 वर्ग फीट	
	20 X 10 = 200 वर्ग फीट	
	कुल 2400 वर्ग फीट	

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार होगी


1. निविदा प्रपत्र. नकद रू 200/- कार्यालय मे जमा करवा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. निविदा धरोहर राशि 50,000रूपये जरिए डिमांड ड्रफ्ट जो अजमेर में भुगतान योग्य हो तथा नकद भी कार्यालय में भी जमा करवायी जा सकेगी।
3. केन्द्रीय बस स्टैण्ड अजमेर के लिए एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाता है तथा अगले वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये राशि निगम कोष में जमा करानी होगी।
4. निविदा स्वीकृत होने के बाद स्वीकृत लाइसेंस राशि की तीन गुना राशि 07 दिवस में निगम कोष में जमा करानी होगी।
5. निविदा स्वीकृत होने पर एक मुशत राशि जमा कराने के पश्चात निविदादाता को 100 रू के स्टाम्प पर निगम से अनुबंध करना होगा तत्पश्चात निगम की अनुमति से कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
6. आम चुनाव लोकसभा/विधानसभा के दौरान प्रचार प्रसार होर्डिंग्स बैनर आदि पर निगम का पूर्ण नियंत्रण रहेगा।
7. निविदादाता द्वारा अपने लाइसेंस का किसी दूसरे को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

लगातार

(2)

MS/1780/2018
31.08.2018

8. केन्द्रीय बस स्टेण्ड अजमेर पर निर्माण कार्य होने पर होर्डिंग्स को लाईसेन्सी द्वारा तुरन्त हटाया जावेगा ।
9. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/न्यायालय/चुनाव आयोग या जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त आदेश अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण से उक्त बोर्ड हटवाये या उतरवाये जाते हैं। तो इस कार्यालय द्वारा ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी।
10. यह कार्यालय राजकीय हित/निगम हित में उक्त अनुबंध समय से पूर्व समाप्त कर सकता है। निविदादाता को इस हेतु अनुपातिक राशि लौटाई जावेगी। इस संबंध में लाइसेन्सी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
11. महिला अपशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।
उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा उक्त सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।


मुख्य प्रबन्धक

सी. बी. एस. अजमेर आगार
दिनांक 31.08.2018

क्रमांक: मु0 प्र0/सामान्य/2018/1780